

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुञ्जुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. - 2024/518
मुकदमा नम्बर 180/2024

दर्ज दिनांक-11.11.2025

1. गणपत पुत्र सेवा
2. ममता देवी पत्नी श्यामसुन्दर समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम बलवन्तपुरा, तहसील नवलगढ जिला झुञ्जुनू

बनाम

भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ जिला झुञ्जुनू

वकील आवेदक :- श्री सुरेश कुमार सैनी
अनावेदक :- पैरो. राज.

प्रार्थना-पत्र(पत्थरगढी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 12.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम बलवन्तपुरा पटवार हल्का चैलासी की सरहद में भूमि खसरा नं. 228 रकबा 0.37 है०, खसरा नं. 234 रकबा 0.64 है० की सीमाओं पर सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2024 के अनुसार पत्थरगढी कायम करवाई जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की ओर से पैरो. राज. उपस्थित किसी प्रकार का उजर एतराज पेश नहीं किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक ने प्रा. पत्र के साथ दिनांक 24.06.2024 की फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की है। पत्रावली पर प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार की गई, जिस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है परन्तु उक्त सीमाज्ञान फर्द पर सीमावर्ती खातेदारों के उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व ग्राम बलवन्तपुरा पटवार हल्का चैलासी की सरहद में भूमि खसरा नं. 228 रकबा 0.37 है०, खसरा नं. 234 रकबा 0.64 है० की सीमाओं पर सभी सीमावर्ती व प्रभावित पक्षकारों व खातेदारों की उपस्थित में पुनः सीमाज्ञान कर फर्द तैयार करते हुये, मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह/पत्थरगढी कायम कर दी जावे।

उक्त कार्य पत्थरगढी के लिये कोई आवश्यक शुल्क अथवा खर्चा होगा तो वह आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। यदि आदेश की पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदकगण द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12/09/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
जिला झुञ्जुनू